न्यायालय– मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण एवं
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

पीठासीन अधिकारी – शालिनी शर्मा, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

क्लेम याचिका संख्या – 61/2021
सी.आई.एस. संख्या – 10/2018
सी.एन.आर. संख्या – RJAJ170000602018

1. नारायण सिंह पुत्र भंवर सिंह, उम्र 69 वर्ष, निवासी हाउस नंबर 231, सागर जैन स्कूल के पास, धानमण्डी पुराना शहर, किशनगढ़, जिला अजमेर।

––प्रार्थी

ब ना म

1. राजू चौधरी पुत्र राम सिंह, उम्र 29 वर्ष, निवासी गांव गाड़ोता पुलिस थाना दूदू, जिला जयपुर।
(वाहन चालक कार नं. आर.जे.–47–सी.ए.–0600)
2. राम कैलाश पुत्र जगदीश चौधरी, उम्र 40 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 5 अजमेर रोड, गोडोता, पुलिस थाना दूदू, जिला जयपुर।
(वाहन मालिक कार नं. आर.जे.–47–सी.ए.–0600)

2/1 श्रीमती बादाम देवी पत्नी राम कैलाश, उम्र वयस्क, निवासी वार्ड नं. 5 अजमेर रोड, गोडोता, पुलिस थाना दूदू, जिला जयपुर।
(वाहन मालिक कार नं. आर.जे.–47–सी.ए.–0600)

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 166 व 140 मोटर वाहन अधिनियम, 1988

उपस्थित–
1 प्रार्थी की ओर से – अधिवक्ता श्री सिराजुद्दीन।
2 अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
3. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से – अधिवक्ता श्री रामेश्वर लाल चौधरी।

– :: अधिनिर्णय :: –

दिनांक ::– 30.03.2026

1. प्रार्थी नारायण सिंह की ओर से धारा 166 व 140 मोटर वाहन अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने बाबत यह याचिका मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, किशनगढ (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, किशनगढ) के समक्ष

दिनांक 05.01.2018 को प्रस्तुत की गई। उक्त याचिका निस्तारण हेतु माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर के आदेशानुसार इस अधिकरण को अंतरित होकर प्राप्त हुई, जिसे नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. क्लेम याचिका में घटना का **संक्षिप्त में विवरण** इस प्रकार है कि दुर्घटना दिनांक 16.01.17 को समय करीबन 4.30 पी.एम. पर पुलिस थाना दूदू (जयपुर ग्रामीण) से बजानिब पूर्व दिशा में बफासला करीबन 18 किमी. की दूरी पर राष्ट्रीय मार्ग नं. 8 पर गांव मोखमपुरा के पास दुर्घटना उस समय घटित हुई थी, जब प्रार्थी अपने पुत्र गजेन्द्र सिंह एवं पत्नी आनन्द कंवर के साथ अपनी **कार नं. आर.जे.–01–सी.बी.–4138** में किशनगढ़ से जयपुर शादी में जा रहे थे। कार को गजेन्द्र सिंह चला रहा था। तब उक्त समय एवं स्थान पर जयपुर की तरफ से **कार नं. आर.जे.–47–सी.ए.–0600** का चालक अपनी कार को बहुत तेज गति, गफलत एवं लापरवाही पूर्वक चलाता हुआ लाया और रोंग साइड में आकर प्रार्थी की कार के टक्कर मार दी, इत्यादि।

3. उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना दूदू में किए जाने पर प्रथम सूचना सं. 52/2017 दर्ज की जाकर तफ्तीश आरम्भ की व बाद अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 1 राजू चौधरी को दुर्घटना हेतु दोषी पाते हुए उसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान अन्तर्गत धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता व धारा 146/196 एम.वी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण दुर्घटना में लिप्त वाहन के चालक एवं मालिक है, जो संयुक्त व पृथक–पृथक रूप से क्षतिपूर्ति राशि अदा करने हेतु उत्तरदायी है। अंत में क्लेम याचिका में क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

4. **अप्रार्थी संख्या 1** की ओर से क्लेम याचिका के अधिकांश तथ्यों से इनकार करते हुए जवाब याचिका इस आशय की पेश की है कि यह कतई स्वीकार नहीं है कि प्रार्थी 8,000/–रुये प्रतिमाह आय अर्जित करता हो। प्रार्थी मात्र क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी आय बढ़ा–चढ़ाकर अंकित की है। तथाकथित दुर्घटना दिनांक को अप्रार्थी द्वारा कोई दुर्घटना कारित नहीं की गई थी। प्रार्थी ने अन्य उद्देश्य आपूर्ति में गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर क्लेम पेश किया है। प्रार्थी ने गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर पुलिस से मिलाभगति कर गलत तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी है। प्रार्थी ने पुलिस से मिलाभगति कर गलत, निराधार, मिथ्या तथ्यों के आधार पर तथाकथित दुर्घटना से 13 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिससे भी ताईद होता है कि तथाकथित दुर्घटना से अप्रार्थी का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। इस कारण अप्रार्थी से प्रार्थी किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। फिर

भी न्यायालय किन्हीं तकनिकी कारणों के आधार पर तथाकथित दुर्घटना के लिए क्षतिपूर्ति अदायगी हेतु जिम्मेदार मानती है तो उक्त वाहन से होने वाली समस्त क्षतिपूर्ति की अदायगी की जवाबदारी उक्त वाहन के पंजीकृत स्वामी अप्रार्थी संख्या 2 की बनती है। प्रार्थी किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति की राशि अप्रार्थी/जवाबकर्ता से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने बाबत निवेदन किया।

5. **अप्रार्थी संख्या 2** को हस्तगत क्लेम याचिका का जवाब प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिए गए, जिसके उपरांत भी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से क्लेम याचिका का जवाब प्रस्तुत नहीं करना जाहिर करने पर उनका जवाब का अवसर बंद किया गया।

6. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय द्वारा निम्न तनकीयात कायम की गई–

1. आया दिनांक 16.01.2017 को समय करीब 4.30 पी.एम. के प्रार्थी अपनी पत्नी के साथ अपनी कार संख्या आरजे 01 सीबी 4138 से किशनगढ़ से जयपुर शादी में जा रहे थे तभी कार संख्या आरजे 47 सीए 0600 का चालक अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी कार को तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाकर रोंग साइड में आकर प्रार्थी की कार को टक्कर मारी, जिससे प्रार्थी व उसकी पत्नी चोटे आई?
2. आया बीमा कम्पनी के द्वारा जवाब क्लेम में उठायी गई आपत्तियों के अनुसार उनके विरूद्ध क्लेम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है?
3. आया दुर्घटना में प्रार्थी/आहत नारायण के गंभीर चोटे आने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र की मद सं 25 में वर्णितानुसार विपक्षीगण से संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से 9,18,000/– रुपये प्राप्त करने के अधिकारी है?
4. अनुतोष ?

7. प्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में स्वयं ए.डब्ल्यू. 1 नारायण सिंह को पेश कर परीक्षित कराया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श 1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श 02, नक्शामौका प्रदर्श 3, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 4, फर्द जब्ती दुर्घटना करने वाली कार प्रदर्श 5, फर्द सूरत हाल कार (प्रार्थी) प्रदर्श 6, धारा 134 नोटिस प्रदर्श 7, नोटिस 133 प्रदर्श 8, फर्द जब्ती कागजात दुर्घटना करने वाली कार प्रदर्श 9, मैकेनिकल रिपोर्ट कार प्रदर्श 10, (प्रार्थी), मेकैनिकल रिपोर्ट

दुर्घटना करने वाली कार प्रदर्श 11, दुर्घटना करने वाले कार चालक डीएल प्रदर्श 12, कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रदर्श 13, चार्जशीट प्रदर्श 14, डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श 15, दवाइयों के बिल प्रदर्श 16 लगायत प्रदर्श 25 को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाए गए।

8. अप्रार्थीगण की ओर से अपने पक्ष/समर्थन में मौखिक साक्ष्य के तहत किसी भी गवाह को परीक्षित नहीं करवाया एवं दस्तोवजी साक्ष्य में भी कोई दस्तोवज पेश नहीं किया गया।

9. उक्त क्लेम याचिका में उभयपक्षों की मौखिक बहस सुनी गई। तर्कों पर विचार किया। पत्रावली का अवलोकन किया। सुसंगत विधि का अध्ययन एवं परिशीलन किया। उक्त याचिका में विरचित विवाद्यकों पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है–

विवाद्यक सं. 1–

10. विवाद्यक संख्या 1 को प्रमाणित करने का भार प्रार्थी पर है। इस संबंध में दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया है कि दुर्घटना **कार नं. आर.जे.–47–सी.ए.–0600** के चालक ने अपनी कार को तेजगति व लापरवाही से चलाकर रोंग साइड में आकर प्रार्थी की कार के टक्कर मारने के फलस्वरूप हुई जिससे उसके चोटें आई, जिससे प्रार्थी के ग्रीवा मेरूदण्ड के सी.–6, सी–7 में फ्रैक्चर हो गया। प्राथमिक उपचार के पश्चात् दिनांक 19.01.2017 से दिनांक 26.01.2017 तक सोनी मनीपाल हॉस्पिटल, जयपुर में भर्ती रहा, जहां पर दिनांक 23.01.2017 को उसका ऑपरेशन किया गया। उसका उपचार 6 माह तक चला रहा। प्रार्थी पूर्व में सिक्योरिटी (चौकीदारी) का कार्य करता था। अब अपना पूर्व की भांति कार्य करने, वजन उठाने, चलने एवं दैनिक दिनचर्या में परेशानी व ज्यादा समय तक गर्दन को सीधा रखना, घुमाना व गर्दन को बाएं–दाएं घुमाकर देखने में परेशानी होती है। उसे स्थायी शारीरिक अक्षमता कारित हो गई है। अतः प्रार्थी द्वारा अपनी मुख्य व दस्तावेजी साक्ष्य से दुर्घटना उक्त वाहन के चालक का तथ्य साबित किया है। अतः वांछित अनुतोष प्रदान किए जाए।

11. दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया है कि घटना की रिपोर्ट 12 दिन की देरी से दर्ज करवाई गई है। दुर्घटना उक्त वाहन से नहीं हुई है। झूठी रिपोर्ट दर्ज करवायी गई है। इलाज के बिल फोटो कॉपी प्रस्तुत किए गए हैं एवं असल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। आहत ने अपनी आयु 75 वर्ष बतायी है। अतः बरवक्त दुर्घटना वह कार्य करता हो यह साबित नहीं है। चौकीदारी का कोई दस्तावेज पेश नहीं है। जन्म दिनांक के संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश

नहीं किया है। गलत तथ्यों के आधार पर क्लेम याचिका पेश की गई है। राशि बढ़ा चढ़ाकर अंकित की गई है। दुर्घटना से अप्रार्थी का कोई लेनादेना नहीं है। प्रकरण में वाहन को मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है। अतः क्लेम याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया।

12. उक्त बहस के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन विश्लेषण किया जावे तो प्रार्थी की ओर से आहत नारायण सिंह को बतौर गवाह **ए.डब्ल्यू. 1** परीक्षित करवाया गया है। उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में मुख्य परीक्षा में क्लेम याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए **कथन किया है कि** दुर्घटना दिनांक 16.01.2017 को समय करीब 4.30 पी.एम. पर पुलिस थाना दूदू (जयपुर ग्रामीण) से पूर्व दिशा में करीबन 18 किमी. की दूरी पर राष्ट्रीय मार्ग नं. 8 पर गांव मोखमपुरा के पास घटित होना, अपने साथ गजेन्द्र सिंह एवं पत्नी आनन्द कंवर के साथ अपनी कार नं. आर.जे.–01–सी.बी.–4138 में बैठकर किशनगढ़ से जयपुर शादी में जाना, जयपुर की तरफ से कार नं. आर.जे.–47–सी.ए.–0600 के चालक द्वारा उसे तेजगति, गफलत एवे लापरवाही पूर्वक चलाकर रोंग साइड में आकर उनकी कार के टक्कर मारना, जिससे उसके, उसकी पत्नी एवं उसके पुत्र के चोटे आयी। उसका इलाज प्राथमिक चिकित्सालय, दूदू में करवाना, तत्पश्चात् अपना इलाज एस.एम.एस हॉस्पिटल, जयपुर एवं उसके बाद मेवाड़ा अस्पताल, जयपुर एवं मनीपाल अस्पताल, जयपुर में करवाया जाना बताया है। गवाह ने अपनी साक्ष्य में समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श 1 लगायत 25 प्रस्तुत किए हैं।

13. दुर्घटना के संबंध में प्रार्थी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 52/2017 पुलिस थाना दूदू में दर्ज करवाना जिसमें बाद अनुसंधान कार चालक के विरूद्ध चार्जशीट पेश किए जाने का कथन किया है। प्रार्थी की ओर से एफआईआर दर्ज कराने की तहरीर प्रदर्श 1 को प्रदर्शित करवाया है तथा उक्त रिपोर्ट पर दर्ज प्रकरण में बाद अनुसंधान अप्रार्थी राजू चौधरी के विरूद्ध अंतर्गत धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 146/196 एमवी एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया है। उक्त प्रकरण में दौराने अनुसंधान वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत धारा 133 एमवी एक्ट के नोटिस प्रदर्श 8 में उक्त कार नं. आर.जे.–47–सी.ए.–0600 से शैवरलेट कार नं. आर.जे.–01–सी.बी.–4138 का मोखमपुरा स्टेण्ड पर एक्सीडेंट होना व उस समय उसकी कार को राजू चौधरी द्वारा चलाया जाने का कथन वाहन स्वामी ने किया है। इसी प्रकार धारा 134 एमवी एक्ट के नोटिस प्रदर्श 7 में वाहन चालक ने भी दिनांक 16.01.2017 को नेशनल हाइवे 8 पर मोखमपुरा स्टेण्ड पर एक्सीडेंट गाड़ी सं. आर.जे.–47–सी.ए.–0600 से एक शैवरलेट कार नं. आर.जे.–01–सी.बी.–4138 का एक्सीडेंट होना व दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को स्वयं

द्वारा चलाया जाने का कथन किया है। उक्त दस्तावेजों का अप्रार्थीगण की ओर से किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया है। प्रकरण में दुर्घटना कारित करने वाले कार नं. आर.जे.–47–सी.ए.–0600 को दिनांक 28.01.2017 घटना की रिपोर्ट दिनांक को ही जब्त किया जाना जिसकी जब्ती प्रदर्श 5 होना प्रार्थी ने अपनी साक्ष्य में बताया है तथा दस्तावेज भी पेश किया गया है। उक्त जब्ती में नंबर प्लेट पर आर.जे.–47–सी.ए.–0600 लिखा होना अंकित है। वाहन हल्का ब्लयू कलर का होना जिसके बायी तरफ की खिड़की मुची हुई होकर क्षतिग्रस्त होना, आगे का बम्पर व हैड लाइट तथा बोनट क्षतिग्रस्त होना, वाहन चलने योग्य का अंकन है। उकत वाहन कृष्णा मोटर्स सांझरिया के वर्क्स शॉप में खड़ी होना भी अंकित किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी ने अपनी साक्ष्य के माध्यम से दुर्घटना वाहन कार नं. आर.जे.–47–सी.ए.–0600 के चालक द्वारा उसे तेजगति व लापरवाही से गलत साइड में जाकर टक्कर मारने के फलस्वरूप होना बताया है। इस संबंध में नक्शामौका प्रदर्श 3 का अवलोकन किया गया, जिसमें भी एक्स स्थान पर अजमेर से जयपुर जाने वाले नेशनल हाइवे 8 पर सैकिण्ड लेन में मोखमपुरा कट पर जिस स्थान पर कार नं. आर.जे.–01–सी.बी.–4138 के दूसरी कार सं. आर.जे.–47–सी.ए.–0600 के चालक द्वारा कट को क्रॉस करके टक्कर मारकर दुर्घटना कारित करना मुस्तगीस द्वारा बताए जाने का अंकन है। उक्त स्थान को एक्स मार्क से दर्शाया गया है। इस प्रकार उक्त नक्शामौका से स्पष्ट है कि कार नं. आर.जे.–47–सी.ए.–0600 के चालक द्वारा कट को क्रॉस करके दूसरी सड़क पर डिवाइडर के दूसरी तरफ कार को टक्कर मारी गई है और जिससे उक्त वाहन के द्वारा अपने वाहन को तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारने का तथ्य साक्ष्य से साबित है। उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप आहत के शरीर पर आयी चोटों के संबंध में प्रदर्श 4 को साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया गया है, जिसमें उसके शरीर पर तीन चोटें आयी है, जो बाद एक्सरे रिपोर्ट साधारण प्रकृति की होना पायी गई है। प्रार्थी ने घटना के बाद किशनगढ़ अस्पताल में इलाज हेतु जाना व तत्पश्चात् एसएमएस अस्पताल, जयपुर, मेवाड़ा अस्पताल, जयपुर एवं मनीपाल अस्पताल, जयपुर में भी इलाज करवाना बताया है तथा इस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, जिनकी किसी प्रकार से खण्डन अप्रार्थी द्वारा नहीं किया गया है, जिससे भी उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप प्रार्थी के चोटें कारित होने का तथ्य प्रमाणित है।

14. प्रकरण में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को दिनांक 28.01.2017 को जब्त कर कब्जा पुलिस लेना दस्तावेज प्रदर्श 5 में अंकित है तथा वाहन चलने की स्थिति में नहीं होना, बायी तरफ की खिड़की मुची हुई होकर क्षतिग्रस्त होना, आगे का बम्पर व हैड लाइट तथा बोनट क्षतिग्रस्त होना अंकित है तथा वाहन का वर्क्स

शॉप में खड़ा होना भी अंकित है। इस प्रकार से उक्त फर्द जब्ती में भी दुर्घटना कारित करने वाला वाहन कार का क्षतिग्रस्त होना पायी गई है, जिससे भी प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में यद्यपि घटना की रिपोर्ट 12 दिन के विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने का तथ्य मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से प्रकट है, परंतु जो चोट प्रतिवेदन पत्रावली में प्रस्तुत है, वह घटना दिनांक 16.01.2017 का ही है तथा इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में ले जाने के संबंध में जो दस्तावेज पेश गए हैं उनमें दस्तावेज प्रदर्श 15 सोनी मनीपाल अस्पताल, जयपुर में प्रार्थी दिनांक 19.01.2017 से दिनांक 23.01.2017 तक भर्ती रहा है। इस संबंध में दस्तावेज पेश है। इस दौरान उसका एक ऑपरेशन भी किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में घटना की रिपोर्ट में 12 दिन का विलंब से यह नहीं माना जा सकता है कि घटना घटित नहीं हुई हो और उक्त वाहन को मिथ्या आलिप्त किया गया हो। अतः ऐसी स्थिति में जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट पर बाद अनुसंधान अप्रार्थी राजू चौधरी के विरूद्ध आरोप पत्र भी पेश हुआ है। उक्त साक्ष्य में उक्त तथ्य से प्रार्थी के तथ्यों की और भी पुष्टि हो जाती है। अतः विलंब से एफआईआर प्रस्तुत करने के आधार पर जो याचिक खारिज करने का निवेदन किया गया है वह माने जाने योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से विवाद्यक सं. 1 को अपने पक्ष में प्रमाणित किया गया है। अतः विवाद्यक सं. 1 प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

विवाद्यक सं. 2–

15. उक्त विवाद्यक के संबंध में अप्रार्थी सं. 1 राजू चौधरी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह आपत्ति की गई है कि वाहन **कार नं. आर.जे.–47–सी.ए.–0600** का पंजीकृत स्वामी अप्रार्थी सं. 2 है, परंतु उक्त वाहन का दुर्घटना में कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अप्रार्थी द्वारा कोई दुर्घटना कारित नहीं की गई है। प्रार्थी ने अपनी उम्र 69 वर्ष होना बतायी है, जबकि वास्तविक जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। दुर्घटना से पूर्व वह चौकीदारी का कार्य करता हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। आठ हजार रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करने के संबंध में भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थना पत्र निराधार, बढ़ा–चढ़ाकर राशि अंकित की गई है। दुर्घटना से 13 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, ऐसी स्थिति में क्लेम याचिका को खारिज करने का निवेदन किया है। उक्त जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में अप्रार्थी की ओर से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

16. जहां तक अप्रार्थी का दुर्घटना की रिपोर्ट दुर्घटना के 13 दिन के विलंब से दर्ज करवाने के संबंध में आपत्ति है तो उक्त आपत्ति के संबंध में पूर्व विवाद्यक में

विस्तार से विवेचन किया जाकर अप्रार्थी की आपत्ति अस्वीकार की गई है।

17. जहां तक प्रार्थी की आयु 69 वर्ष होने के संबंध में कथन किए गए हैं तो इस संबंध में प्रार्थी द्वारा स्वयं का आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसकी जन्म वर्ष 1947 अंकित है। इसके अतिरिक्त जो उसके चिकित्सकीय दस्तावेजों में प्रार्थी की चोट प्रतिवेदन में उम्र 69 वर्ष बताया है। अन्य आधार कार्ड में जन्म वर्ष 1947 होना बताया है। अतः प्रार्थी द्वारा आयु के संबंध में दस्तावेजों को पेश किया है। अतः उक्त तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

18. जहां तक प्रार्थी के दुर्घटना में आहत नहीं होने पुलिस से मिलीभगत कर गलत चोटें दर्शाने का कथन किया गया है तो इस संबंध में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं की गई है। जबकि प्रकरण में बाद अनुसंधान अप्रार्थी सं. 1 राजू चौधरी के विरूद्ध आरोप पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी ने मिथ्या क्लेम के आधार पर कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई हो, ऐसा कोई कथन नहीं किया है ना ही साक्ष्य पेश की है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब क्लेम प्रार्थना पत्र में उठाई गई उक्त आपत्तियों को अपनी साक्ष्य से साबित नहीं किया गया है। अतः विवाद्यक सं. 2 अप्रार्थी के विरूद्ध तय किया जाता है।

19. जहां तक आठ हजार रुपये प्रतिमाह अर्जित नहीं किए जाने, आय को बढ़ा चढ़ाकर बताने व इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं करने बाबत आपत्ति है तो इस संबंध में प्रार्थी ने क्लेम याचिका व शपथ पत्र में स्वयं का चौकीदारी का कार्य करना बताते हुए आठ हजार रुपये प्रतिमाह बताया है, परंतु इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी कहां पर, किस स्थान पर, कब चौकीदारी का कार्य करता है तथा उसकी आय के संबंध में कोई प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, परंतु आहत घटना से पूर्व कोई कार्य नहीं करता हो, यह कथन नहीं किया है न ही यह प्रमाणित किया है। अतः उक्त विवाद्यक सं. 2 आंशिक रूप से अप्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

<u>**विवाद्यक संख्या – 3**</u>

20. प्रार्थी द्वारा इस विवाद्यक के संबंध में अपने साक्ष्य शपथ पत्र में याचिका के पद सं. 25 में वर्णितानुसार क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने की प्रार्थना की है, जो निम्नानुसार तय किया जाना उचित पाया जाता हैः–

21. उक्त विवाद्यक के संबंध में प्रार्थी नारायण सिंह ने दुर्घटना के फलस्वरूप स्वयं के चोटें आना बताया है, जिसके संबंध में चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 4 साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया गया है, जिसमें उसके शरीर पर तीन चोटें आना एवं साधारण प्रकृति की होना अंकित है।

22. आहत ने घटना के पश्चात् इलाज के लिए दुर्घटना दिनांक को प्राथमिक

चिकित्सालय, दूदू में प्राथमिक इलाज तथा उसके पश्चात् एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर एवं उसके बाद अपना उपचार मेवाड़ा अस्पताल, जयपुर एवं मनीपाल अस्पताल, जयपुर में इलाज करवाया बताया है, जिसके संबंध में प्रार्थी की ओर से डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श 15 पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी मनीपाल हॉस्पिटल, जयपुर में दिनांक 19.01.2017 को भर्ती होकर दिनांक 26.01.2017 को डिस्चार्ज हुआ है एवं जहां उसका दिनांक 23.01.2017 को ऑपरेशन भी हुआ है। इस प्रकार प्रार्थी का उक्त अस्पताल में 8 दिन भर्ती रहकर इलाज करवाना प्रमाणित है। अतः उक्त साक्ष्य के विवेचन के आधार पर प्रार्थी को क्षतिपूर्ति राशि निम्नानुसार तय किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है–

A **धन संबंधित नुकसान हेतु (For Pecuniary Damage)–**

i (a) **इलाज में हुआ वास्तविक खर्चा –** प्रार्थी ने अपने इलाज के संबंध में मेडिकल बिल प्रस्तुत किए हैं, जो प्रदर्श 16 लगायत 25 है, जिनमें प्रदर्श 25 ड्रग रिटर्न (राशि 473/–) राशि होना अंकित है, जो नियमानुसार देय नहीं है एवं शेष देय बिलों की कुल राशि 21,727/–रुपये होती है। अतः अधिकरण के मत में प्रार्थी को **राशि 21,727/–रुपये** वास्तविक इलाज के खर्च पेटे दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

(b) **अस्पताल में भर्ती रहने के दौराने आनुशंगिक खर्चा –** इस मद में प्रार्थी की ओर से अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श 15 पेश किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी मनीपाल हॉस्पिटल, जयपुर में दिनांक 19.01.2017 से दिनांक 26.01.2017 तक भर्ती रहने तथा उस दौरान एक ऑपरेशन दिनांक 23.01.2017 को किए जाने का भी अंकन है। इस प्रकार से प्रार्थी नारायण सिंह कुल 8 दिन अस्पताल में भर्ती रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से प्रार्थी का कुल 8 दिवस तक उपचारत रहकर भर्ती रहना दर्शाया गया है। इस दौरान प्रार्थी ने उक्त अवधि में भर्ती रहने के दौरान निश्चित ही पौष्टिक आहार भी लिया होगा, एक व्यक्ति उसकी सुश्रुषा एवं देखभाल के लिए उपस्थित रहा होगा। अतः इस दौरान आनुशंगिक व्यय के रूप पौष्टिक आहार हेतु **600 X 8 =4,800/– रुपये** व अटेन्डेंट हेतु **300 X 8 = 2400/– रुपये** कुल **7,200/– रुपये** दिया जाना उचित है। अस्पताल में आने जाने के लिए प्रार्थी द्वारा वाहन पर भी खर्च किया होगा, जिसके संबंध में **5,000/–रुपये** दिलाया जाना उचित है।

ii(a) **अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान आय की क्षति–** प्रार्थी के द्वारा दुर्घटना के फलस्वरूप आयी चोटो के कारण अस्पताल में भर्ती रहने के संबंध

में दस्तावेज प्रदर्श 15 पेश किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी दिनांक 19.01.2017 से दिनांक 26.01.2017 कुल 8 दिन तक मनीपाल अस्पताल जयपुर में भर्ती रहा। इस प्रकार उक्त डिस्चार्ज टिकट के अनुसार आहत कुल 8 दिवस तक प्राइवेट अस्पताल में उपचारत होकर भर्ती रहा है, जिसके पेटे प्रार्थी को 600/–रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कुल 600 X 8 = **4800/– रुपये** दिलाया जाना अवधारित किया जाता है।

(b) **स्थाई निशक्तता के कारण भविष्य में आय की क्षति के लिए (Permanent Disability & Loss of Income in Future)–** आहत ने दुर्घटना के फलस्वरूप स्वयं का स्थायी निशक्तता के कारण भविष्य में सिक्योरिटी का कार्य करने में, वजन उठाने, लेकर चलने एवं दैनिक दिनचर्या में परेशानी व ज्यादा समय तक गर्दन को सीधा रखना, घुमाना व गर्दन को बाएं दाएं घुाकर देखने में परेशानी होने का कथन किया है, परंतु स्थायी निशक्तता के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। अतः उक्त मद में प्रार्थी को कोई राशि दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

(C) **शरीर पर आई चोटो के संबंध में क्षतिपूर्ति –** इस प्रकार से प्रार्थी/आहत द्वारा प्रस्तुत चोट प्रतिवेदन के आधार पर प्रार्थी के शरीर पर कुल तीन चोट साधारण प्रकृति की होना अंकित है।

23. प्रार्थी के द्वारा दिनांक 19.01.2017 को सोनी मनीपाल हॉस्पिटल में एडमिट होने व डिस्चार्ज होने बाबत डिस्चार्ज समरी प्रदर्श 15 पेश किया गया है, उक्त दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी दिनांक 19.01.2017 से दिनांक 26.01.2017 तक उक्त अस्पताल में भर्ती होकर डिस्चार्ज किया गया है, जो उसके सर्वाइकल हड्डी का ऑपरेशन किया गया है यद्यपि उसमें किसी प्रकार का फ्रैक्चर हुआ हो ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं है, परंतु उक्त सर्वाइकल हड्डी का ऑपरेशन होना बताया गया है, जिसके संबंध में बिल पेश किए गए हैं।

24. प्रार्थी के कोई गंभीर चोट कारित होना अंकित नहीं है, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 4 से प्रार्थी के शरीर पर कुल तीन साधारण चोट कारित होने की पुष्टि भी होती है, प्रत्येक चोट के लिए 3500/– के हिसाब से कुल **10,500/– रूपये** दिलाया जाना न्यायाचित प्रतीत होता है।

B धन से भिन्न नुकसान हेतु (For Non– Pecuniary Damage)–

(i) **मानसिक संताप, कष्ट एवं वेदना –** प्रार्थी के शरीर पर आई 03 साधारण चोटों के फलस्वरूप कई दिनों तक शारीरिक एवं मानसिक रूप से पीड़ित रहा है। डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श 15 से दिनांक 23.01.2017 को उसका

एक ऑपरेशन होना अंकित है, जो साक्ष्य से प्रमाणित है, जिसके लिए हुई पीड़ा कष्ट हेतु क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रार्थी/आहत को **5,000/– रुपये अतिरिक्त** दिलवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थी के द्वारा दिनांक 19.01.2017 को सोनी मनीपाल हॉस्पिटल में एडमिट होने व डिस्चार्ज होने बाबत डिस्चार्ज समरी प्रदर्श 15 पेश किया गया है, उक्त दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी दिनांक 19.01.2017 से दिनांक 26.01.2017 तक उक्त अस्पताल में भर्ती होकर डिस्चार्ज किया गया है, जो उसके सर्वाइकल हड्डी का ऑपरेशन किया गया है यद्यपि उसमें किसी प्रकार का फ्रैक्चर हुआ हो ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं है, परंतु उक्त सर्वाइकल हड्डी का ऑपरेशन होना बताया गया है, जिसके संबंध में बिल पेश किए गए हैं तथा 8 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा। तत्पश्चात् भी अपना दैनिक कार्य नहीं कर पाया है। प्रार्थी को **20,000/–रुपये** मानसिक व शारीरिक वेदना, कष्ट व संताप की पूर्ति के रूप में दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

25. अतः उक्तानुसार प्रार्थी/आहत को निम्न क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाना न्यायोचित प्रतीत होता है –

क्रमांक	मद	क्षतिपूर्ति राशि
1	इलाज में हुआ वास्तविक खर्चा	21,727/– रूपये
2	अस्पताल में भर्ती रहने के दौराने पौष्टिक आहार व अटेन्डेंट हेतु खर्चा	7200/– रूपये
3	परिवहन हेतु	5000/–रूपये
4	भर्ती रहने के दौरान आय की क्षति	4800/–रूपये
5	शरीर पर आई चोटो के संबंध में क्षतिपूर्ति	10,500 /– रूपये
6	मानसिक संताप, कष्ट एवं वेदना	25,000/– रूपये
	कुल	**74,227/– रूपये**

26. चूंकि दुर्घटना तिथि को वाहन **कार नं. आर.जे.–47–सी.ए.–0600** का चालक अप्रार्थी संख्या 01 था व स्वामी अप्रार्थी संख्या 02 था, परंतु अप्रार्थी सं. 2 की दौराने विचारण मृत्यु होने से उसके वारिसान के बतौर 2/1 को संयोजित किया गया है। ऐसी स्थिति में निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि अदायगी की जिम्मेदारी अप्रार्थी संख्या 01 व 2/1 की संयुक्तः व पृथक–पृथक होगी। अतः यह विवाद्यक उक्तानुसार प्रार्थी के पक्ष में आंशिक रूप से निर्णीत किया जाता है।

<u>अनुतोष</u>

27. परिणामतः प्रार्थी नारायण सिंह कुल राशि **74,227/– रूपये** अप्रार्थी सं.

1 व 2/1 से संयुक्ततः व पृथक–पृथक प्राप्त करने का अधिकारी है व उक्तानुसार उक्त राशि पर ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी है।

– पंचाट –

28. परिणामस्वरूप प्रार्थी/आहत नारायण सिंह की क्लेम याचिका अंतर्गत धारा 166 व 140 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रार्थी उपरोक्तानुसार क्षतिपूर्ति राशि **74,227/–** रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः **अप्रार्थी संख्या 1 राजू चौधरी** पुत्र राम सिंह, उम्र 29 वर्ष, निवासी गांव गाड़ोता पुलिस थाना दूदू, जिला जयपुर **(वाहन चालक कार नं. आर.जे.–47–सी.ए.–0600) तथा** अप्रार्थी संख्या 2 राम कैलाश पुत्र जगदीश चौधरी, उम्र 40 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 5 अजमेर रोड, गोडोता, पुलिस थाना दूदू, जिला जयपुर। **(वाहन मालिक कार नं. आर.जे.–47–सी.ए.–0600) (मृतक) 2/1** श्रीमती बादाम देवी पत्नी राम कैलाश, उम्र वयस्क, निवासी वार्ड नं. 5 अजमेर रोड, गोडोता, पुलिस थाना दूदू, जिला जयपुर। **(वाहन मालिक कार नं. आर.जे.–47–सी.ए.–0600)** के विरूद्ध संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से **74,227/–रुपये** प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 05.01.2018 से वसूली तक देय ब्याज कुल अवार्ड राशि पर 07 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज अदा किए जाने का अंतिम पंचाट पारित किया जाता है।

29. प्रार्थी द्वारा दोषरहित दायित्व के तहत पूर्व में कोई राशि प्राप्त कर ली गई है तो क्षतिपूर्ति की राशि में से समायोजन कर शेष राशि प्रार्थी को दी जाये एवं इसी प्रकार से पूर्व प्रदत्त किसी ब्याज की राशि का समायोजन इसकी गणना के समय किया जावे। उक्त प्रतिकर राशि का भुगतान होने पर प्रार्थी प्रतिकर राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से प्राप्त करने का अधिकारी होगा। प्रार्थी को प्रतिकर राशि का निम्न प्रकार से अदायगी किया जाना उचित है–

क्रं. स.	**नाम प्रार्थी**	**बचत खाते में नकद देय राशि (रुपये में)**	**सावधि खाते में जमा राशि व राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि की अवधि**
1	नारायण सिंह पुत्र भंवर सिंह, उम्र 69 वर्ष, निवासी हाउस नंबर 231, सागर जैन स्कूल के पास, धानमण्डी पुराना शहर, किशनगढ़, जिला अजमेर।	74,227/– रुपये एवं संपूर्ण ब्याज	

30. प्रार्थी को प्राप्त होने वाली प्रतिकर राशि पर अर्जित संपूर्ण ब्याज राशि का

भुगतान प्रार्थी को उसके बचत खाते के माध्यम से किया जायेगा।

31. प्रार्थी को स्वयं के सावधि जमा राशियों पर त्रैमासिक अंतराल पर ब्याज जरिये बचत खाता देय होगा। सावधि जमा योजनाओ में जमा राशियों को इस अधिकरण की इजाजत के बिना विभाजित, अंतरित एवं प्रभावित नहीं किया जायेगा ना ही अधिकरण की अनुमति के बिना प्रार्थी सावधि जमा राशियों का अवधि पूर्व भुगतान प्राप्त कर सकेंगे।

32. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6237/2017 ICICI Lombard General Insurance बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के दिशा–निर्देशों की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आदेश दिया जाता है कि वह संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से कुल अवार्ड राशि एवं ब्याज का भुगतान 02 माह में करे एवं इस हेतु अधिकरण के खाता संख्या 21054002293, राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा किशनगढ, भाट मौहल्ला ओपोजिट स्वास्तिक टायर मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर, IFSC Code – RMGB0001054 में जरिये NEFT/RTGS जमा कराये व विहित प्रारूप में इसकी सूचना अधिकरण को उपलब्ध करवाई जावे। साथ ही जमा अवार्ड की सूचना की प्रति प्रार्थी को दी जावे। तद्नुसार अंतिम पंचाट नियमानुसार तैयार किया जावे। यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी अविलंब अपने रजिस्टर्ड बैंक के बचत खाता के पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति जिस पर प्रार्थी की बैंक द्वारा प्रमाणित फोटो लगी हो अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करे। न्यायालय में पेश होने पर व अवार्ड राशि जमा होने पर प्रार्थी के पक्ष में पारित अवार्ड राशि उसके बैंक खाते में जमा करवाने हेतु बैंक को सूचना दी जावे।

(शालिनी शर्मा)
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण एवं
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–2
किशनगढ़ जिला अजमेर।

33. निर्णय आज दिनांक 30 मार्च, 2026 लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शालिनी शर्मा)
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण एवं
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–2
किशनगढ़ जिला अजमेर।